

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/सीलिंग/6124/1999/भीलवाडा

नारायणसिंह पिता चावण्डसिंह जाति राजपूत निवासी हिसानिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार ।

.....रेस्पोंडेंट

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित:-

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अपीलान्ट
श्री लोकेन्द्र सिंह, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांक:- 20-12-2019

यह अपील राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (संक्षेप में एतदपश्चात् 'अधिनियम 1973') की धारा 23 (2) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 25-11-1999 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) भीलवाडा के समक्ष प्रकरण संख्या 64/1974 संस्थित किया गया। उक्त प्रकरण इस आशय का संयोजित किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम 1973 के प्रकरण का विचारण करते हुए उभयपक्ष की बहस सुनकर न्यायालय ने आदेश दिनांक 06-03-1995 पारित किया। उक्त निर्णय इस आशय के साथ पारित किया कि अपीलान्ट की सीलिंग सीमा निर्धारित करते हुए निश्चित तिथि को कुल 99-35 साधारण एकड भूमि मानते हुए उसमें से 8-75 साधारण एकड भूमि रखने का अधिकारी माना गया तथा कुल 56-75 साधारण एकड भूमि की कमी कर शेष 42-60 साधारण एकड भूमि सीलिंग

सीमा से अधिक मानी जाकर अधिशेष की तथा अपीलान्ट को दो सप्ताह की अवधि में अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु आदेशित किया गया। प्राधिकारी अधिकारी के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष प्रथम अपील पेश की। जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 25-11-1999 के द्वारा विचाराधीन अपील को मियाद व गुणावगुण दोनों बिन्दुओं को सारहीन होना घोषित करते हुए प्राधिकारी अधिकारी का निर्णय दिनांक 06-03-1995 को यथावत बहाल रख दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 25-11-1999 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत तथा विधि विरुद्ध है। उनका कथन है कि प्राधिकारी अधिकारी ने उनकी माता व पिता के हिस्से को अपीलार्थी को प्राप्त होना कथित कर न्यायालय ने अनियमितता की है। जिसके द्वारा न्यायालय ने उनके पिता चावण्डसिंह की पुराने सीलिंग कानून के तहत की गई तथा सीलिंग सीमा के निर्णय दिनांक 30-12-1992 के अनुसार ही उनकी बहनों का भी हिस्सा जोड़ते हुए भूमि नोशनल शेयर से अपीलार्थी के पास धारण में रहती है। उसमें से 17 साधारण एकड़ भूमि ही अधिशेष रहती है। अतः प्राधिकारी अधिकारी को निर्णय दिनांक 30-12-1992 के अनुसार विभाजन की गणना करनी चाहिए, जो कि उनके द्वारा नहीं की गई। उक्त परिवेश में मामले में प्राधिकारी अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय विधि सम्मत नहीं है। उनका तर्क है कि उक्त अवैध निर्णय के विरुद्ध अपील पेश की गयी अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मियाद व गुणावगुण पर सारहीन होना प्रकट कर अनियमितता की है। आगे बताया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय भी उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक

25-11-1999 व प्राधिकारी अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-03-1995 को निरस्त करते हुए उन्होंने उनके विरुद्ध संस्थित सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किए जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत राज्य पक्ष के उप राजकीय अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधि सम्मत बताते हुए अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उनका कथन है कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने किन्हीं नवीन तथ्यों का समावेश इस अपील में नहीं किया है। अतः आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। आगे बताया कि प्रश्नांकित भूमियों पर अपीलान्त का कब्जा होने के कारण न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत सीलिंग सीमा की गणना की है, जिसमें किसी विधि का उल्लंघन नहीं हुआ है। आगे बताया कि उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर अपीलान्त से 42-60 साधारण एकड भूमि अधिग्रहण योग्य उचित है, इस परिप्रेक्ष्य में इस अपील में अपीलान्त किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उनका तर्क है कि अपीलान्त द्वारा सीलिंग कार्यवाही से बचने के लिए भूमि का अन्तरण किया गया है। यही नहीं अपीलान्त द्वारा किया गया बेचान अपंजीकृत विक्रय विलेख से भूमि का अन्तरण किया है जो कि पंजीयन एवं सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के विपरीत है। इस कारण ऐसे अन्तरण का विधि में कोई महत्व नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समग्र रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां व पारित किए गए दोनों निर्णयों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी चावण्डसिंह के विरुद्ध पूर्व में पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विचारण किया गया, जिसमें रकबा 185-14 बीघा भूमि को खाते में मानकर 37 स्टे. एकड भूमि पर कार्यवाही हुई उसमें 6-33 स्टेण्डर्ड

एकड भूमि को मान्यता देने एवं 30-67 स्टेण्डर्ड एकड रहने से 30 स्टेण्डर्ड एकड छोड शेष 0-67 स्टेण्डर्ड एकड रकबे को अधिग्रहित किया गया। उक्त निर्णय को संशोधित कर भूमिधारी के 4-76 स्टेण्डर्ड एकड रकबा रह जाने से उसे जोडा जाकर कुल 5-43 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण की गई। यहीं नहीं भूमिधारी की पत्नि का पृथक प्रकरण नये सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया। चावण्डसिंह के नये सीलिंग कानून के तहत 185-14 बीघा के स्थान पर दिनांक 01-01-1973 को 124-19 बीघा अर्थात 66-60 स्टेण्डर्ड एकड भूमि रह जाने से तहसीलदार को रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसके अनुसार अपीलार्थी के हस्तान्तरण में कालम संख्या 15 के कम संख्या 1 से 7 व 10 व 11 का निस्तारण पुराने कानून के तहत चली कार्यवाही में हो चुका है तथा केवल कालम संख्या 8 व 9 हेतु मान्यता देने हेतु भूमिधारी द्वारा कथित किया गया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान आक्षेप उठाया कि निर्धारिती के देहान्त होने पर उनके द्वारा धारित कृषि भूमि उनके वारिसान अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 पर धारित होना मानते हुए प्राधिकारी अधिकारी ने निर्धारिती की भूमि अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के साथ सम्मिलित करते हुए उनके विरुद्ध अधिनियम 1973 के तहत कार्यवाही की जाकर भूमि अधिग्रहण की गई है। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष उचित नहीं था कि वे निर्धारिती के विरुद्ध सीलिंग कार्यवाही करते। एक ही खाते की भूमि को दो विभिन्न खातेदारों या उनसे अधिक के साथ नहीं जोडी जा सकती और दो विभिन्न प्रकरणों के तहत अधिग्रहण नहीं की जा सकती। रेकार्ड के अनुसार यह पाया जाता है कि चावण्डसिंह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 10 के तहत जो विवरिणीका पेश की गई है उसमें परिवार के सदस्यों का विशेष विवरण भाग संख्या ख में सदस्यों की संख्या घोषणाकर्त्ता चावण्डसिंह को ही होना बताया है अर्थात सदस्य संख्या एक मानी गई है, इस विवरणिका पर चावण्डसिंह के हस्ताक्षर के साथ-साथ विद्वान अधिवक्ता के भी हस्ताक्षर है। अतः स्पष्ट है कि जब निश्चित दिवस को परिवार के सदस्यों की संख्या एक ही मानी गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार 48 एकड भूमि अपीलार्थीगण को छोडते हुए जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें कोई विधिक भूल प्रतीत नहीं होती है। अतः इस बाबत अपीलार्थी का आक्षेप उचित नहीं है।

9. अपीलार्थी का अन्य आक्षेप है कि प्राधिकृत अधिकारी ने एसेसी को अधिनियम 1973 के तहत धारा 12 के ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी नहीं किया। एसेसी का देहान्त होने पर प्राधिकारी अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि एसेसी के सभी वारिसान को संशोधित ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी कर सीलिंग प्रकरण निर्णित करते। एसेसी के सभी वारिसान को धारा 12 अधिनियम 1973 के तहत ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी नहीं कर जो कार्यवाही की गई है, वह त्रुटिपूर्ण है। तदनुसार न्यायालय अपीलार्थी से 18-60 साधारण एकड भूमि अधिग्रहण करने के आदेश देने में जारी है। दिनांक 26-03-1974 को चावण्डसिंह को धारा 12 का ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें उसके द्वारा अपने परिवार की सदस्यों एक अंकित की है। उक्त स्टेटमेंट का चावण्ड सिंह द्वारा 31-05-1974 को जवाब भी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, उक्त जवाब प्रार्थना पत्र पर उसके अधिवक्ता के प्रतिहस्तार भी अंकित है। अतः इस बाबत अपीलार्थी द्वारा लिया गया आक्षेप निराधार है। अन्य आक्षेप है कि दिनांक 26-09-1970 के पहले हस्तान्तरण की गई भूमि को निर्धारिती के द्वारा दिनांक 01-01-1970 को धारित कुल भूमि में कम कर सीलिंग प्रकरण निर्णित करना चाहिए था। निर्धारिती ने 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 11-05-1970 को मदनसिंह पुत्र कल्याण को हस्तान्तरित कर दी तथा यह हस्तान्तरण दिनांक 26-09-1970 के पहले का था जिसकी वैधता किसी भी रूप में नहीं देखी जा सकती है। इसी प्रकार प्राधिकारी अधिकारी ने सुवालाल, रामप्रसाद, हीरालाल पुत्र बद्रीलाल के पक्ष में हस्तान्तरण के जरिये 5 बीघा 15 बिस्वा विक्रय की गई थी। इसको भी निर्धारिती की कुल भूमि में से कम न कर सीलिंग प्रकरण निर्णित करने में कानूनी भूल की है। उनका यह भी आक्षेप है कि अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 13 के तहत फाईनल स्टेटमेंट जारी किए बिना ही अपीलांट से 18-60 साधारण एकड भूमि के अधिग्रहण संबंधी आदेश दूषित है। रेकार्ड के अनुसार कालम संख्या 8 में सुवालाल, रामप्रसाद, हीरालाल आत्मज बद्रीलाल के 5-15 बीघा भूमि को सम्वत 2027 में विक्रय होना बताया गया, किन्तु यह अन्तरण पंजीकृत था या नहीं, इस बाबत उल्लेख नहीं किया गया। विधि की भावना के अनुसार बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान किए गए अन्तरण का कोई विधिक महत्व नहीं है। मामले में सीलिंग कार्यवाही से बचने के लिए आलोच्य अन्तरण किया गया है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार क्रम संख्या 9

मदनसिंह पुत्र कल्याणसिंह को 27-10 बीघा भूमि को दिनांक 11-05-1970 को विक्रय करना कथित किया गया। यह अन्तरण भी सीलिंग कार्यवाही से बचने के लिए निष्पादित किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अन्तरण साले के पक्ष में किए जाने से विधि मान्य नहीं है। उक्त दोनों अन्तरण विधि में मान्य नहीं होने के कारण जागीरदार के खाते में 66-60 स्टेण्डर्ड एकड भूमि पर सीलिंग सीमा निर्धारण करना शेष होने के कारण तथा भूमिधारी के परिवार की सदस्य संख्या 5 से कम होने से 48 एकड भूमि इनके द्वारा अपने खाते में रखने के लिए अधिकृत है शेष 18-60 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को सीलिंग सीमा से प्रभावित होने से अधिग्रहण किए जाने के उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के मत से यह न्यायालय सहमत है।

10. हमारे द्वारा उपलब्ध प्रकरण का परीक्षण करने पर यह दृष्टिगत होता है कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में किसी विधि का उल्लंघन अथवा क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने अपील मीमों में असंगत आधार अभिवचित किए जाने के कारण उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः हमारी विनम्र राय में हस्तगत अपील में सारवान तत्व उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे अपास्त किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. परिणामतः प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-11-1999 व उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-03-1995 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य